

न्याय दर्शन के प्रमाण सिद्धि

न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम के दर्शन में तर्कशास्त्र और प्रमाण-शास्त्र पर अत्याधिक जोर दिया गया है। न्याय-दर्शन के समस्त शास्त्रों को ही भागों प्राचीन न्याय और नव्य-न्याय में विभक्त किया गया है। गौतम का न्यायसूत्र प्राचीन न्याय का तथा गंगेश उपाध्याय का 'तत्वाचिंतामणि' प्रमाणिक नव्य माना जाता है। अन्य भारतीय दर्शनों की तरह न्याय का चरम उद्योग मोक्ष को अपनाना है। मोक्षादुम्भति हेतु न्याय-दर्शन में सोलह (16) पहलुओं की व्याख्या की गई है। उनमें प्रमाण पहला ही प्रमाण चर्याच ज्ञान के साधन को कहा जाता है।

न्याय-दर्शन में ज्ञान का स्वतंत्र प्रकाशमय माना गया है। इसमें सही ज्ञान को प्रमा, मिथ्या ज्ञान को अप्रमा, जो चेतन मनुष्य चर्याच ज्ञान प्राप्त करता है, प्रमाता तथा ज्ञान के विषय को 'प्रमेय' कहा जाता है। ज्ञान के साधन को 'प्रमाण' कहा जाता है। न्याय के मतानुसार प्रमाण चार हैं - प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान।

न्याय दर्शन का पहला प्रमाण, प्रत्यक्ष का अत्याधिक महत्व है। प्रत्यक्ष ज्ञान सन्देह-रहित है। यह चर्याच और निश्चित होता है। कहा भी गया है, "प्रत्यक्षे किं प्रमाणम्।" यहाँ प्रत्यक्ष का प्रयोग ज्ञान के साधन के आतीतिक साधन के रूप में यानि प्रमाण तथा प्रमा दोनों अर्थों में हुआ है। प्रत्यक्ष में विषयों का साक्षात्कार ही जाता है। यह स्वतंत्र तथा अनिरोद्ध प्रमाण है। इसे अन्य प्रमाणों का प्रमाण कहा जाता है। प्रत्यक्ष के बिना अन्य प्रमाणों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रत्यक्ष ही शब्दों प्राति-सामने-अक्ष-आँख से बना है। यानि जो आँखों के सामने है। यह संकुचित अर्थ है। पहल अर्थ में प्रत्यक्ष का मतलब वह ज्ञान है जो ज्ञानोद्देशों-आँख, कान, नाक, जीभ, तन्वा-से प्राप्त होता है। न्याय-दर्शन

में प्रत्यक्ष की परिभाषा इन शब्दों में ही गई है -
 "इन्द्रियार्थसम्बन्धितानां ज्ञानं प्रत्यक्षम्"। दूसरे शब्दों में
 जो ज्ञान इन्द्रिय और विषय के सम्बन्धों से उत्पन्न है,
 उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान में तीन वर्ग
 हैं - 1) इन्द्रिय 2) विषय 3) सन्निकर्ष। इस प्रकार
 इन्द्रिय और वस्तु का सम्पर्क ही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष
 प्रत्यक्ष का विभाजन दो वर्गों में किया जाता है -
 1) आलोचिक प्रत्यक्ष में हुआ है। फिर आलोचिक प्रत्यक्ष
 दो प्रकारों में - शब्द और मानस प्रत्यक्ष में विभक्त
 हुआ है। प्रत्यक्ष का विभाजन एक दूसरे द्विकोण
 निर्विकल्पक और सविकल्पक के रूप में भी हुआ है।
 आलोचिक प्रत्यक्ष के भी तीन प्रकार हैं - 1) सामान्य
 ज्ञान 2) ज्ञान लक्षणा 3) योगान। प्रत्यक्ष के सभी
 वर्गीकरण से भी यह स्पष्ट है कि इन्द्रिय और वस्तु
 का सम्पर्क ही प्रत्यक्ष है।

अनुमान न्याय दर्शन का दूसरा प्रमाण
 है। वह ज्ञान प्रत्यक्ष ही है। जिसके आधार पर अनुमान
 अनुमान मान्यता का ज्ञान की प्राप्ति होती है।
 अनुमान वह ज्ञान है जिसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की
 और जाया जाता है। अनुमान अपनी उत्पत्ति के लिए
 प्रत्यक्ष पर आश्रित है। इसलिए अनुमान को
 प्रत्यक्षमूलक ज्ञान कहा गया है। अनुमान के तीन
 अंग हैं - पक्ष, साधन और हेतु। पक्ष अनुमान का
 वह अवयव है जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है।
 पक्ष के संबंध में जो कुछ सिद्ध किया जाता है उसे
 साधन कहा जाता है तथा जिसके द्वारा पक्ष में साधन
 का होना बतकाया जाता है वह हेतु कहलाता है।
 अनुमान का उद्देश्य पक्ष और साधन के बीच साधन
 स्थापित करना है। इसके लिए आवश्यक है - पक्ष
 और हेतु का संबंध, और साधन और हेतु का व्यापक
 संबंध। हेतु और साधन के बीच जो संबंध होता है
 उसे प्राप्ति कहते हैं। अनुमान का आधार प्राप्ति है।
 प्रमाणन की इच्छा से नैसर्गिक

न्याय के प्रमाण

नै अनुमान के दो भेद किये हैं- स्वतंत्रानुमान
 व प्रतारणानुमान। जिन ज्ञानावस्थों में निती ज्ञान की
 प्राप्ति के लिए अनुमान करता है तो उसे स्वतंत्रानुमान
 कहा जाता है और जहाँ इसके के निमित्त किये जाते हैं
 तो प्रतारणानुमान है। नैयायिकों ने शब्द को भी प्रमाण
 माना है। किसी विश्वस्त व्यक्तिके कथनानुसार
 जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द ज्ञान कहते हैं।
 आप्तः पुरुष के उपदेशों को ही शब्द कहा गया है।
 न्याय सूत्र के अनुसार - 'आप्तोपदेशः शब्दः'
 न्याय दर्शन में शब्द को एक स्वतंत्र प्रमाण
 माना गया है।

न्याय दर्शन में उपमान को भी एक
 प्रमाण माना गया है। उपमान के द्वारा जिस
 ज्ञान प्राप्त होती है उसे उपमिति कहते हैं।
 उपमान हमारे जीवन के लिए अत्यन्त
 उपयोगी है। इसके द्वारा बस्तु के सम्भाव्यता
 (possibility) का ज्ञान होता है। समानता
 के आधार पर हम नये विषयों को
 जान लेते हैं। उपमान के द्वारा नवीन
 आविष्कारों में भी सहायता मिलती है।